

प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित }

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर थाना:- सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... 12/22 दिनांक..... 16/1/22
2. (1) अधिनियम पी0सी0एक्ट धारा :-7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये:- 120बी
(3) अधिनियम धाराये :-.....
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :-
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 384 समय..... 4.00 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :- दिनांक 15.01.2022 समय 01.35 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 12.01.2022 समय 10.15 ए0एम0
4. सूचना की किस्म :- लिखित
5. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- चौकी से बदिशा दक्षिण करीबन 75 किलोमीटर
(ब) पता :- रा.उ.प्रा.वि.सुथारो का तला के मुख्य द्वार के सामने मुख्य सड़क पर
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :-
6. परिवादी / सूचनाकर्ता
(अ) नाम :- श्री फुसाराम
(ब) पिता का नाम :- श्री तगाराम
(स) जन्मतिथि / वर्ष :- उम्र 27 वर्ष
(द) राष्ट्रियता :- भारतीय
(य) पाटपोर्ट संख्या :- जारी होने की तिथी.....
(र) व्यवसाय :- मजदूरी
(ल) पता :- निवासी ग्राम दीनगढ तहसील धनाउ जिला बाडमेर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :-
1. श्री पूनमाराम पुत्र श्री आईदानराम जाति जाट निवासी डेलुओ का तला तहसील चौहटन जिला बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दीनगढ प.स. धनाउ जिला बाडमेर।
2. श्री कंवराराम पुत्र श्री लालाराम जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दिनगढ, पंचायत समिति धनाउ, जिला बाडमेर मोबाईल नम्बर 8890841174 (प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:- कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां :-
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :- ट्रेप राशि 3,000 रुपये
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट

सेवा में,

श्रीमान् एडीशनल साहब जी
ए0सी0बी विभाग,
बाड़मेर

विषय :- ग्राम पंचायत दिनगढ़ के एल0डी0सी0 श्री पूनमाराम एवं उसके दलाल श्री कंवराराम को रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत।

महोदय,

निवेदन मन् फुसाराम पुत्र श्री तगाराम जाति जाट उम्र 27 वर्ष पैशा खेतीबाड़ी निवासी ग्राम पंचायत दिनगढ़ तहसील धनाउ जिला बाड़मेर का इस प्रकार है कि मेरी भाभी श्रीमति अन्नु पत्नि स्व0 श्री अणदाराम के नाम से ग्राम पंचायत दिनगढ़ में पानी का टांका का स्वीकृत हुआ है। मेरे भाई का स्वर्गवास वर्ष 2012 को हो गया था एवं उसके बाद मेरी भाभी मेरे परिवार के साथ ही निवास करती है एवं उनके आवश्यक घरेलू कार्य मैं ही करता हूँ। मेरे गांव के एल0डी0सी0 श्री पूनमाराम ने मुझे दिनांक 26.12.2021 को जरिये वाट्सअप काल किया, किन्तु मेरे द्वारा उक्त कॉल अटैण्ड नहीं किया गया एवं तत्पश्चात मैंने समय 3.41 मीनट पर मेरे मोबाईल नम्बर 9672084203 से उनके नम्बर 9462159038 पर कॉल किया तो उसने कहा कि तेरी भाभी के टांके के मस्टरोलो नाम व हाजरी चढ़वानी है तो मुझे 10,000रुपये देने होंगे, नहीं तो मस्टरोल मे हाजरी कम कर दूंगा, जिस पर मैंने उनसे कुछ कम करने का कहा तो उन्होंने कहा कि इसमें कम नहीं करुंगा, आप अब मेरे से बात मत करना एवं उक्त रुपये श्री कंवराराम सरपंच के ट्रेक्टर ड्राईवर को दे देना। मैं मेरी भाभी के जायज कार्य करने की एवज में श्री पूनमाराम एल0डी0सी0 एवं श्री कंवराराम दलाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, उनको रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। मेरी या मेरी भाभी का किसी प्रकार का कोई लेन-देन उन दोनो से बाकी नहीं है। मेरी भाभी ने भी उन दोनो के खिलाफ एसीबी की कार्यवाही करवाने के लिए मुझे कहा है।

अतः श्रीमान महोदय से निवेदन है कि उक्त दोनो भ्रष्ट व्यक्तियों को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ने की कार्यवाही करने की कृपा करावें।

भवदीय,

एसडी

(फुसाराम)

निवासी दिनगढ़ जिला बाड़मेर

मोबाईल नम्बर 9672084203

श्री चम्पालाल हैड कानि. द्वारा परिवादी से दिनगढ़ मे प्राप्त प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया। एसडी- रामनिवास 12.01.2022

एसडी	एसडी	एसडी	एसडी
नवल प्रकाश मीणा	विजय कुमार	फुसाराम	मुकनदान
15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 12.01.2022 वक्त 10.15 ए0एम0

इस समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर एक व्यक्ति के मोबाईल नम्बर 9672084203 से कॉल आया एवं मोबाईल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम फुसाराम पुत्र श्री तगाराम जाति जाट निवासी ग्राम पंचायत दिनगढ़ तहसील धनाउ जिला बाड़मेर का निवासी होना बताया एवं बताया कि मैंने आपके मोबाईल नम्बर एसीबी के टोल फ्री नम्बर 1064 से लिये थे। मेरी भाभी श्रीमति अन्नु जिसके नाम से ग्राम पंचायत में मनरेगा का टांका स्वीकृत हुआ है, उसमें मस्टरोलो में नाम व हाजरी चढ़ाने की एवज में हमारे गांव का एल0डी0सी0 श्री पूनमाराम अपने दलाल के मार्फत मेरे से 10,000रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है, वह मेरे से वाट्सअप पर ही कॉल करता है, चूंकि मेरे भाई का स्वर्गवास हो चुका होने से मेरी भाभी मेरे परिवार के साथ ही निवास करती है, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं एवं मेरी भाभी के घरेलू आवश्यक काम भी मैं ही देखता हूँ। मैं व मेरी भाभी श्री पूनमाराम व उसके दलाल कंवराराम को रिश्वत नहीं देकर उनको रंगे हाथो पकड़वाना चाहते हैं। मैं बाड़मेर आने में असमर्थ हूँ, किन्तु उनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। परिवादी श्री फुसाराम से आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि